# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
(नैक द्वारा "A++" ग्रेड प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
कोनी, बिलासपुर–495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752–260209, फैक्स : 07752–260154
ई–मेल : ggv.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in

# Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
(A Central University with "A++" Grade Accredited by NAAC)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : ggv.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in


क्रमांक 409 / बै.प्र. / स्था.स. / 2025 बिलासपुर, दिनांक : 30-03-2025

प्रति,

**समस्त सम्माननीय सदस्यगण**
**All Hon'ble Members**
विद्यापरिषद् की स्थायी समिति,
Standing Committee of Academic Council
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
बिलासपुर (छ.ग.)
Bilaspur (C.G.)

**विषय :–** विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 204वीं बैठक दिनांक 30.03.2025 के कार्यवृत्त का प्रेषण।
**Subject :-** Dispatch of minutes of 204th meeting of Standing Committee of Academic Council dated 30-03-2025.

———0———

**महोदय / महोदया,**
**Sir/Madam**

विषयान्तर्गत, दिनांक 30.03.2025 को आयोजित विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 204वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अभिलेख हेतु संलग्न प्रेषित है।

Under the subject, the minutes of the 204th meeting of the Standing Committee of the Academic Council held on 30-03-2025 is enclosed for perusal and record.

आदेशानुसार/By order,

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

पृ0 क्रमांक 410 / बै.प्र. / स्था.स. / 2025 बिलासपुर, दिनांक : 30-03-2025

**प्रतिलिपि/Copy to :–**

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
The Secretary to the VC for the information of the HVC.
02. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
The PA to the Registrar for inf ormation of the Registrar.
03. निदेशक, आईक्यूएसी / सहायक कुलसचिव–अकादमिक / प्रशासन / विकास / वित्त प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
Director, IQAC/Assistant Registrar - Academic/Administration/Development/ Finance/Incharge University website for information and necessary action.
04. कार्यालय प्रति।
Office Copy.

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

# गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

**विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 204वीं बैठक दिनांक 30.03.2025 का कार्यविवरण**

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 204वीं बैठक दिनांक 30.03.2025 को अपरान्ह 03.30 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव | सदस्य |
| 3. | प्रो0 सीमा राय | सदस्य |
| 4. | प्रो0 रेणु भट्ट, प्रभारी अधिष्ठाता–अंतर विषयक शिक्षा और अनुसंधान विद्यापीठ | सदस्य |
| 5. | प्रो0 सी.एस. वझलवार | सदस्य |
| 6. | प्रो0 ब्रजेश तिवारी | सदस्य |
| 7. | प्रो0 एस.सी. तिवारी | सदस्य |
| 8. | प्रो0 के.एन. सिंह, प्रभारी अधिष्ठाता–भौतिक विज्ञान विद्यापीठ | सदस्य |
| 9. | प्रो0 रामकृष्ण प्रधान | सदस्य |
| 10. | प्रो0 अमरनाथ कुमार ठाकुर, प्रभारी अधिष्ठाता–गणितीय और संगणक विज्ञान विद्यापीठ | सदस्य |
| 11. | प्रो0 सुधांशु रंजन मोहापात्रा | सदस्य |
| 12. | प्रो0 बी.डी. मिश्रा | सदस्य |
| 13. | प्रो0 संतोष कुमार प्रजाप्रति | सदस्य |
| 14. | डॉ0 एम.एस. धपोला | सदस्य |
| 15. | डॉ0 सुबल दास | सदस्य |
| 16. | डॉ0 गीता मिश्रा | सदस्य |
| 17. | प्रो0 भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी–विकास | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 18. | प्रो0 अमित कुमार सक्सेना, डायरेक्टर–आईक्यूएसी | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 19. | प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, अधिष्ठाता–छात्र कल्याण | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 20. | डॉ0 सम्पूर्णानंद झा, परीक्षा नियंत्रक | विशेष आमंत्रित सदस्य |
| 21. | प्रो0 ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक) | सचिव |

कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारम्भ में प्रेरणादायी उद्बोधन दिया एवं तत्पश्चात् विभिन्न विषयों पर चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

**विषय क्र.01** **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 203वीं बैठक दिनांक 17.03.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 203वीं बैठक दिनांक 17.03.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

**विषय क्र. 02** **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 203वीं बैठक दिनांक 17.03.2025 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 203वीं बैठक दिनांक 17.03.2025 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

Ranadive 30-03-2025     30/03/2025

**विषय क्र. 03.** **CSIT विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 14.02.2025 द्वारा अनुशंसित संशोधित UG की पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि CSIT विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 14.02.2025 द्वारा अनुशंसित संशोधित UG की पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

**विषय क्र. 04.** **विश्वविद्यालय में "Centre for Applied Cell Culture and Drug Evaluation" की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव DST में जमा किये जाने पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में "Centre for Applied Cell Culture and Drug Evaluation" की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव DST में जमा करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

**विषय क्र. 05.** **गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए भू–तकनीकी परीक्षण सेवाओं के लिए परीक्षण शुल्क में संशोधन और अन्य परीक्षणों को शामिल करने के लिए प्रस्ताव पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय के बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए भू–तकनीकी परीक्षण सेवाओं के लिए परीक्षण शुल्क में संशोधन और अन्य परीक्षणों को शामिल करने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

**विषय क्र. 06.** **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं Govt. Bilasa Girls P.G. (Auto) College, Bilaspur (C.G.) के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं Govt. Bilasa Girls P.G. (Auto) College, Bilaspur (C.G.) के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।

**विषय क्र. 07.** **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं Rajya Niti Ayog, Raipur, Chhattisgarh के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं Rajya Niti Ayog, Raipur, Chhattisgarh के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।

**विषय क्र. 08.** **गणित विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 18.03.2025 द्वारा अनुशंसित संशोधित बी.एससी. एवं एम.एससी. की पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गणित विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 18.03.2025 द्वारा अनुशंसित संशोधित बी.एससी. एवं एम.एससी. की पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

Ranadive 30-03-2025    30/03/2025

**विषय क्र. 09.** **विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन विभाग, गणित विभाग, औद्योगिक एवं उत्पादन इंजीनियरिंग विभाग के लिए नवीन भवन तथा सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के लिए आवश्यक भवन व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रथम तल के साथ 3 विभाग के भवनों यथा सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हेतु ढके शेड निर्माण हेफा Window-III के अंतर्गत कुल रू. 99.84 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किए जाने पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन विभाग, गणित विभाग, औद्योगिक एवं उत्पादन इंजीनियरिंग विभाग के लिए नवीन भवन तथा सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के लिए आवश्यक भवन व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रथम तल के साथ 3 विभाग के भवनों यथा सिविल इंजीनियरिंग, मेकेनिकल इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हेतु ढके शेड निर्माण हेफा Window-III के अंतर्गत कुल रू. 99.84 करोड़ स्वीकृत कराने संबंधी प्राप्त प्रस्तुत का अनुमोदन किया जाय।

## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

**अ.अ.वि.क्र .01** विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष प्रो0 भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ने बैठक के दौरान विभिन्न विषयों पर सम्यक चर्चा हेतु विश्वविद्यालय के विभिन्न अधिकारियों की आवश्यकता के बारे में बताया तथा प्रस्ताव दिया कि बैठक के दौरान इन अधिकारियों को विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल किया जाय।

डॉ0 सम्पूर्णानंद झा, परीक्षा नियंत्रक ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया।

चर्चा उपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि स्थायी समिति की आगामी बैठकों में निम्नलिखित अधिकारियों को विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल किया जाय—

1. वित्ताधिकारी
2. एन.ई.पी. कोऑर्डिनेटर
3. ग्रंथपाल
4. ओ.डी.एल. के निदेशक
5. एम.एम.टी.टी.सी. के निदेशक
6. ओ.एस.डी. यांत्रिकी शाखा
7. संयुक्त कुलसचिव—भण्डार (संयुक्त कुलसचिव की अनुपस्थिति में ओ.एस.डी. भण्डार)

**अ.अ.वि.क्र .02** विश्वविद्यालय में 100 कैपेसिटी (50 रूम्स ट्विन शेयरिंग) रिसर्च हॉस्टल (जी+6) के निर्माण हेतु रूपये 9.2 करोड़ का प्रस्ताव अनुमोदन बाबत्।

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में 100 कैपेसिटी (50 रूम्स ट्विन शेयरिंग) रिसर्च हॉस्टल (जी+6) के निर्माण हेतु रूपये 9.2 करोड़ का प्रस्तुत प्रस्ताव पीपीपी मॉडल में सम्पादित किये जाने का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त प्रस्तावित भवनों को हेफा (HEFA) के माध्यम से भी कराये जाने का अनुमोदन किया जाय तथा इसके लिये विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाय।

Ranadive 30-03-2025 30/03/2025

**अ.अ.वि.क्र .03** **विश्वविद्यालय में किफायती एवं संधारणीय 75 शिक्षक (लेवल 13A के सह–प्राध्यापकों के लिए) अपार्टमेंट्स के निर्माण हेतु ₹100 करोड़ का प्रस्ताव अनुमोदन बाबत।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में किफायती एवं संधारणीय 75 शिक्षक (लेवल 13A के सह–प्राध्यापकों के लिए) अपार्टमेंट्स के निर्माण हेतु ₹100 करोड़ का प्रस्तुत प्रस्ताव पीपीपी मॉडल में सम्पादित किये जाने का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त प्रस्तावित भवनों को हेफा (HEFA) के माध्यम से भी कराये जाने का अनुमोदन किया जाय तथा इसके लिये विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाय।

**अ.अ.वि.क्र .04** **विश्वविद्यालय में किफायती एवं संधारणीय 100 शिक्षक (लेवल 10, 11 एवं 12 के सहायक प्राध्यापकों के लिए) अपार्टमेंट्स के निर्माण हेतु ₹92 करोड़ का प्रस्ताव अनुमोदन बाबत।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में किफायती एवं संधारणीय 100 शिक्षक (लेवल 10, 11 एवं 12 के सहायक प्राध्यापकों के लिए) अपार्टमेंट्स के निर्माण हेतु ₹92 करोड़ का प्रस्तुत प्रस्ताव पीपीपी मॉडल में सम्पादित किये जाने का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त प्रस्तावित भवनों को हेफा (HEFA) के माध्यम से भी कराये जाने का अनुमोदन किया जाय तथा इसके लिये विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाय।

**अ.अ.वि.क्र .05** **विश्वविद्यालय में 100 शिक्षकों के लिए किफायती एवं संधारणीय 1 बीएचके स्टूडियो अपार्टमेंट्स के निर्माण के हेतु ₹46 करोड़ का प्रस्ताव अनुमोदन बाबत।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में 100 शिक्षंकों के लिए किफायती एवं संधारणीय 1 बीएचके स्टूडियो अपार्टमेंट्स के निर्माण के हेतु ₹46 करोड़ का प्रस्तुत प्रस्ताव पीपीपी मॉडल में सम्पादित किये जाने का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त प्रस्तावित भवनों को हेफा (HEFA) के माध्यम से भी कराये जाने का अनुमोदन किया जाय तथा इसके लिये विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाय।

**अ.अ.वि.क्र .06** **विश्वविद्यालय में किफायती एवं संधारणीय 50 शिक्षक (लेवल 14 के प्राध्यापकों के लिए) अपार्टमेंट्स के निर्माण हेतु ₹92 करोड़ का प्रस्ताव अनुमोदन बाबत।**

निर्णय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में किफायती एवं संधारणीय 50 शिक्षक (लेवल 14 के प्राध्यापकों के लिए) अपार्टमेंट्स के निर्माण हेतु ₹92 करोड़ का प्रस्तुत प्रस्ताव पीपीपी मॉडल में सम्पादित किये जाने का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त प्रस्तावित भवनों को हेफा (HEFA) के माध्यम से भी कराये जाने का अनुमोदन किया जाय तथा इसके लिये विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाय।

Ranadive 30-03-2025

30/03/2025

**अ.अ.वि.क्र .07** विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने विश्वविद्यालय में सत्र 2025–26 से Apprenticephip Embedded Degree Programme (AEDP) प्रारम्भ किये जाने का सैद्धांतिक अनुमोदन किया। इस हेतु ऑर्डिनेन्स/दिशा–निर्देश बनाये जाने हेतु एक समिति का गठन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति गठित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय जी को अधिकृत किया जाय।

**अ.अ.वि.क्र .08** विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष वोकेशनल पाठ्यक्रम को शासित करने वाले अध्यादेश का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन आंशिक संशोधनों के साथ किया जाय।

**अ.अ.वि.क्र .09** विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों का ओपीडी, आईपीडी और अन्य चिकित्सा सेवायें के लिए हॉपिटल के साथ अनुबंध कर कैशलेस चिकित्सा उपचार एवं सेवायें प्रदान कराने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं अनुबंध कराये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

बैठक के दौरान आंतरिक अंकेक्षण अधिकारी प्रो0 सी.एस. वझलवार ने यह बताया कि चिकित्सा देयकों के प्रस्तुतीकरण में दवाईयों के कई देयकों का भुगतान कैश किया जाना पाया गया है। अतः दवाईयों की खरीदी के लिए केवल ऑनलाईन भुगतान या यूपीआई या डेबिट कार्ड आदि से किये गये भुगतान ही मान्य किया जाय। कैश के माध्यम से भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति न की जाय। उक्त प्रस्ताव का समर्थन प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण ने किया।

उक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त स्थायी समिति ने आंतरिक अंकेक्षण अधिकारी प्रो0 सी.एस. वझलवार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा यह निर्णय लिया कि दवाईयों के देयकों का भुगतान ऑन लाईन माध्यम से ही कराया जाय एवं कैश धनराशि देकर क्रय की गई दवाईयों के देयकों की प्रतिपूर्ति न की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

Ranadive 30/03/2025

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव    कुलपति/अध्यक्ष